18/7/25

वकील उपस्थित आए। पक्ष वकील उपस्थित आए
मनन लिया गया। पश्चात्वर्ती का अवलोकन किया
गया रिट नं० 834 वर्ष HMCPT के अपने
आवेदन व कारण की प्रेषित प्रा० पत्र के प्रति लिया
है एवं समयावधि में नगरपालिका की प्रोहीबिशन
की है एवं गैरमजरूआ ने कामन्ता प्रा० पत्र में
8351 987 अंकित आवेदकों के लिए नगरपालिका
है समयावधि के नगरपालिका नियम 75-78 देखा
की है। माननीय वर्ष उच्चतम पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
व कामन्ता प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अपने
अपने नगरपालिका में कार्यवाही [illegible] पक्ष लाभ नहीं
लिया जाने पर [illegible] प्रा० पत्र HMCPT
व कामन्ता प्रा० पत्र गैरमजरूआ खीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested

2/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी

योग्य है। अतः 50 प्रतिशत मामला विरुद्ध
गैरमामलात तहसील किया जाता है। गैरमामलात
को 50 प्रतिशत बटवारा अमाने निर्देशानुसार पर्याप्त
किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 834 रकबा
0.44 है्. रकबा कुछ बटवारा लायक रकबा
तहसील कार्यवाही में मामला के कब्जे कास्त
व फसल आदि के कारे अवाहात पैदावारी
काटे एवं काश्त 50 प्रतिशत गैरमामलात तहसील
किया जाता है। मामलात को तकसीमात
काश्त बाबत अमाने निर्देशानुसार पर्याप्त
किया जाता है कि वह आराजी खसरा नं.
833/687 रकबा 0.15 है्. रकबा कुछ
बटवारा लायक तहसील कार्यवाही में गैरमामलात
के कब्जे कास्त के कारे अवाहात पैदावारी
को बटवारा किया जाता लायक मुकदमे के
मामला मेजरा रहा है। मुतरिफ मान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)